कैदियों के पास सेल्यूलर फोन और चाकू होना

2361. श्री रामजीलाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश की विभिन्न जेलों में कैदियों को सेल्यूलर फोन और चाकू जैसे हथियार उपलब्ध हैं और वे उनका प्रयोग धन की वसूली और हत्याओं के लिए करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कोई विशेष दिशा-निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को कड़ाई से पालन करने के लिए भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) कैदियों द्वारा सेल्यूलर फोन, चाकू इत्यादि के प्रयोग की इक्की-दुक्की घटनाएं ध्यान में आयी हैं। हालांकि "जेल" राज्य का विषय है और जेलों में सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का कार्य अनिवार्यत: राज्य सरकारों का है, केन्द्र सरकार, जेल से संबंधित प्रशासन के कार्यकरण में सुधार लाने की आवश्यकता पर राज्य सरकारों पर दबाब डालती रही है सुरक्षा पहलुओं को सक्रिय बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सुझाए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ सम्मिलित है:— रिश्तेदारों द्वारा कैदियों के लिए लाए जाने वाले भोजन और अन्य वस्तुओं की तलाशी लेना, न्यायालयों/अस्पतालों से वापस आने के बाद संवासियों की नियमित रूप से जांच करना, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की, अकस्मात चैकिंग, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अकस्मात दौरे करना इत्यादि। जेल ढ़ांचे के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत और वित्त आयोगों के फैसलों के तहत राज्य सरकारों को सहायता भी दे रही है।

बलात्कार के मामलों के लिए पृथक पुलिस प्रकोष्ठ

2362. श्रीमती सरोज दुबे: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बलात्कार से संबंधित मामलों के लिए पुलिस विभाग में एक पृथक् प्रकोष्ठ या शाखा का गठन करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अपराधों को दर्ज करना, उसकी जांच करना, पता लगाना और रोकने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। तथपि केन्द्र सरकार महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए यथा-आवश्यक उपाय करने के लिए समय-समय पर, राज्य सरकारों को सलाह देती रही है। राज्य सरकारों को दिए गए सुझावों में सम्मिलित है:— केवल महिला पुलिस कार्मिकों की तैनाती वाले थानों की स्थापना, पुलिस स्टेशनों में महिला पुलिस प्रकोष्ठ का सृजन करना, बलात्कार के मामलों की सुनवाई, महिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाले न्यायालयों में करना, बलात्कार के मामलों की जांच महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा करना इत्यादि।

नववधुओं को जलाया जाना

2363. कुमारी सरोज खापर्डे: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार नववधुओं, विशेष रूप से गर्भवती वधुओं के जलाने के कितने मामले हुए, कितने मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई और दोषियों को सजा दी गई;

(ख) क्या 6 दिसम्बर, 1998 को एक अनोखी घटना में सफदरजंग अस्पताल में एक गर्भवती महिला की मृत्यु हुई और मृत प्रसव में उसने एक बाल शिशु को जन्म दिया था; और

(ग) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और पुलिस द्वारा गलत कार्य करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई तथा मामले के संबंध में अद्यतन जानकारी क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) वर्ष 1996, 1997 और 1998 के दौरान दहेज संबंधी अपराधों के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न अनुपत्र में दी गई है। (देखिए परिशिष्ट 186, अनुपत्र सं॰ 37) गर्भवती वधुओं के जलाने से संबंधित विशिष्ट सूचना अलग से नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस के अनुसार, 29.11.1998 को श्रीमती पुष्प लता विश्वास को 90 प्रतिशत जली अवस्था में सफदरजंग अस्पताल में लाया गया था। उनकी चिकित्सा जांच से मालूम हुआ कि उसे सात मास का गर्भ है, उसका आप्रेशन किया गया और उसके शरीर से एक मृत भ्रूण निकाला गया। 4.12.1998 को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी।

एस.डी.एम., मॉडल द्वारा की गई मरणोपरान्त जांच-पड़ताल के दौरान मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन को उसके पति ने दहेज की मांग पूरी न